



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



16 श्रावण 1946 (श०)

संख्या - 25 राँची, बुधवार

7 अगस्त, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 360- 375

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 जून, 2024

संख्या-1/विविध-812/2021 कां- 4120--श्री अनिकेत सचान, भा०प्र०से० (झा: 2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी, झारखण्ड को निजी व्यय पर दिनांक 19.07.2024 से 31.07.2024 तक बाली द्वीप (इंडोनेशिया) विदेश की यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत स्वयं की शादी के लिए दिनांक-08.07.2024 से 04.08.2024 तक कुल 28 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश जिसमें दिनांक-19.07.2024 से 31.07.2024 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश (Ex India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जून, 2024

संख्या-1/विविध-832/2019 कां०- 4243--विभागीय अधिसूचना सं० 7327, दिनांक 29.12.2023 द्वारा श्रीमती आर. रॉनिटा, भा.प्र.से. (झा:2015) को कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में श्री रॉनिटा द्वारा दिनांक 01.01.2024 को विभाग में दिये गये योगदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विभागीय अधिसूचना संख्या 7071 दिनांक 18.12.2023 द्वारा स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश को संशोधित करते हुए भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के तहत श्रीमती आर, रॉनिटा, भा.प्र.से. को दिनांक 09.12.2023 से 31.12.2023 तक एवं दिनांक 02.01.2024 से 08.04.2024 तक कुल 121 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION31st July, 2024

Memo No.-10/C.B.I.-425/2024-4643--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole of State of Jharkhand upon request made via letter number 342/CO-10/2024, dated 19.07.2024 of Superintendent of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against Engineer, Putki Colliery, BCCL, Dhanbad District (Jharkhand) for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by PC (Amendment Act, 2018).

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,
Under Secretary to Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

31 जुलाई, 2024

संख्या-13/आई०पी०एस०-127/2019-4642--श्री टी० कन्दसामी; भा०पु०से०, विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-08.07.2024 से 15.07.2024 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

25 जुलाई, 2024

1. सं० सं०-13/पी०-102/2020-4546--सी०, श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (1989), महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. सं० सं०-13/पी०-102/2020-4547--सी०, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990), महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।
3. सं० सं०-13/पी०-102/2020-4548--सी०, श्री प्रशान्त सिंह, भा०पु०से० (1992), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, राँची के पद को पुलिस महानिदेशक कोटि में उत्क्रमित करते हुए पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 जून, 2024

सं०सं०-02/नि०सं०-12-222/2014 का० 4177--श्री नरेश कुमार मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 457/20), अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला का दिनांक 24.09.2022 से 31.10.2022 तक कुल 38 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 जून, 2024

संख्या-1/विविध -840/2009 (खण्ड) का०- 4179--श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से. (झा:1993), अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को निजी व्यय पर दिनांक 12.07.2024 से 23.07.2024 तक विदेश (Switzerland, France, Austria) की यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-12.07.2024 से 23.07.2024 तक कुल 12 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

28 जून, 2024

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-112/2024-3982--श्री कार्तिक एस॰ भा॰पु॰से॰, पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 18 (बी) के तहत दिनांक-18.03.2024 से 24.03.2024 तक कुल-07 (सात) दिनों का पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANGITA SINGH अन्य नाम SANGEETA SINGH पति MANOJ KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 41, दिनांक 5 जुलाई, 2024 के अनुसार SANGITA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी। SANGITA SINGH एवं SANGEETA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR SHIV MANDIR,
SURYADEO NAGAR,
HARSH BIHAR COLONY,
P.O. - SARAIDHELA,
P.S. - SARAIDHELA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828127
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUSHANTA BHATTACHARJEE अन्य नाम SUSANTA BHATTACHARJEE, SUSHANTA KR BHATTACHARJEE एवं SUSANTA KUMAR BHATTACHARJEE पिता Late ANADI CHARAN BHATTACHARJEE, शपथ पत्र सं० 322, दिनांक 1 मार्च, 2024 के अनुसार SUSHANTA BHATTACHARJEE के नाम से जाना जाऊँगा।

SUSHANTA BHATTACHARJEE, SUSANTA BHATTACHARJEE, SUSHANTA KR BHATTACHARJEE एवं SUSANTA KUMAR BHATTACHARJEE सभी एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - GANDHI NAGAR COLONY,
QR. NO. - 1B/252,
KANKE ROAD,
P.S. - GONDA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAMA SHANKAR PANDEY अन्य नाम MANGAL PANDEY पिता SRI JANARDAN PANDEY, शपथ पत्र सं० 01088, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अनुसार RAMA SHANKAR PANDEY के नाम से जाना जाऊँगा।

RAMA SHANKAR PANDEY एवं MANGAL PANDEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - B.I.T. MESRA VASTU VIHAR,
P.O. - NEURI VIKAS,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANJITA KACHHAP अन्य नाम MANJITA EKKA पति TELESPORE KACHHAP, शपथ पत्र सं० 232, दिनांक 26 जून, 2024 के अनुसार MANJITA KACHHAP के नाम से जानी जाऊँगी।

MANJITA KACHHAP एवं MANJITA EKKA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - R.K.M. SANATORIUM,
DUNGRI, MURUNGTOLE,
HATIA NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, TILAKI DEVI अन्य नाम TELSHWARI DEVI पति MATHURA PRASAD, शपथ पत्र सं० 10549, दिनांक 1 जून, 2024 के अनुसार TILAKI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

TILAKI DEVI एवं TELSHWARI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - FUFANDI,
P.O. - RATANPUR,
P.S. - ICHAK,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825402
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AFSANA NAAZ, AALIYA NAAZ (अन्य नाम AALIYA FATIMA KHAN) की माता, शपथ पत्र सं० 135, दिनांक 3 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री AALIYA NAAZ (जन्म तिथि - 24 जनवरी, 2014) के नाम से जानी जायेगी।

AALIYA NAAZ एवं AALIYA FATIMA KHAN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KALAL TOLI, SHARAD BABU LANE, RANCHI,
P.O. - G.P.O.,
P.S. - LOWER BAZAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, TARA KUMARI अन्य नाम MUNIKA ORAIN पिता SOMRA ORAON, शपथ पत्र सं० 333, दिनांक 3 जुलाई, 2024 के अनुसार TARA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।
TARA KUMARI एवं MUNIKA ORAIN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PAKARIYO,
P.O. & P.S. - CHANHO,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835214
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MUNNA KUMAR अन्य नाम ANURAG KUMAR SINGH पिता RAJ KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 157, दिनांक 6 जुलाई, 2024 के अनुसार MUNNA KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

MUNNA KUMAR एवं ANURAG KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PACHGHARA,
P.O. - MAYAPUR,
P.S. - MAYURHUND,
DIST. - CHATRA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHEETAL KUMARI PATEL अन्य नाम SHEETAL KUMARI पति ANIL KUMAR PATEL, शपथ पत्र सं० 20, दिनांक 20 जून, 2024 के अनुसार SHEETAL KUMARI PATEL के नाम से जानी जाऊँगी।

SHEETAL KUMARI PATEL एवं SHEETAL KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LAIYO, DUDHIBANDH,
P.O. - LAIYO,
P.S. - JMANDU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUDHA SAH अन्य नाम SUDHA AGRAWAL पति Late SHIV KUMAR SAH, शपथ पत्र सं० 4265, दिनांक 31 मई, 2024 के अनुसार SUDHA SAH के नाम से जानी जाऊँगी।

SUDHA SAH एवं SUDHA AGRAWAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - PATEL NAGAR, GODDA,
P.S. - GODDA (T),
DIST. - GODDA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANGRA BHAGAT अन्य नाम MANGRA URONV पिता CHARO BHAGAT, शपथ पत्र सं० 0179, दिनांक 11 जून, 2024 के अनुसार MANGRA BHAGAT के नाम से जाना जाऊँगा।
MANGRA BHAGAT एवं MANGRA URONV दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - PURIO,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835205
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AJIT KUMARI NAG अन्य नाम BERNADET NAG पति SAMUEL NAG, शपथ पत्र सं० 1215, दिनांक 28 मई, 2024 के अनुसार AJIT KUMARI NAG के नाम से जानी जाऊँगी।
AJIT KUMARI NAG एवं BERNADET NAG दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DULLI, MARANGHADA,
P.O. & P.S. - MARANGHADA,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835210
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DIPTI SUSHMITA BILUNG अन्य नाम SUSHMITA BILUNG पिता DAMIYAN BILUNG, शपथ पत्र सं० 848, दिनांक 12 जून, 2024 के अनुसार DIPTI SUSHMITA BILUNG के नाम से जानी जाऊँगी।

DIPTI SUSHMITA BILUNG एवं SUSHMITA BILUNG दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - PRERITON KI RANI SADAN,
PANCHWATI RAILWAY COLONY,
P.O. & P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RENU DEVI अन्य नाम SHOBHA DEVI पति BIRBAL RAM, शपथ पत्र सं० 713, दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार RENU DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

RENU DEVI एवं SHOBHA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SUNDERIBANDH,
P.S. & P.S - PANKI,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822122
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MOHAMMAD SHAMS अन्य नाम MD SHAMSHER पिता MO. RAHAMAT ANSARI, शपथ पत्र सं० 1787, दिनांक 13 जून, 2024 के अनुसार MOHAMMAD SHAMS के नाम से जाना जाऊँगा।

MOHAMMAD SHAMS एवं MD SHAMSHER दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MISHRAIN MORHA,
P.O. - RELIGARHA,
P.S. - GIDDI, 'A',
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIMAL KUMAR THAKUR अन्य नाम BABLU THAKUR पिता Late RAMU THAKUR, शपथ पत्र सं० 115, दिनांक 6 जून, 2024 के अनुसार BIMAL KUMAR THAKUR के नाम से जाना जाऊँगा।

BIMAL KUMAR THAKUR एवं BABLU THAKUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - ADARSH NAGAR,
QR NO. - H/38,
P.O. & P.S. - DHURWA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VISHAL KUMAR SINGH अन्य नाम RAMANAND SINGH पिता SACHCHIDA NAND SINGH, शपथ पत्र सं० 2647, दिनांक 2 मार्च, 2024 के अनुसार VISHAL KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

VISHAL KUMAR SINGH एवं RAMANAND SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - NAUDIHA,
P.O. - NAUDIHA,
P.S. - PATAN,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822123
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRIYAM SINGH अन्य नाम PRIYAM पिता ANIL KUMAR, पति SUMIT KUMAR, शपथ पत्र सं० 160, दिनांक 8 जुलाई, 2024 के अनुसार PRIYAM SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

PRIYAM SINGH एवं PRIYAM दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - 204,
LOWER KUSAI, NEAR 56 SET,
DORANDA RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND
